राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : 9(20)राज–6/2017/09. जयपुर, दिनांक : 06/01/21

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में चारागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही हो सकते है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों में भी उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबंधित किया गया है। यदि चारागाह भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है तो ऐसी स्थिति में चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज किया जाकर ही यह भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध कराई जा सकती है। चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन एवं इसको आवंटन के लिये उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है। जिसके तहत चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किए जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति अनाधिवासित सरकारी भूमि से किए जाने का प्रावधान है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर अन्य प्रयोजनार्थ, उपयोग/आवंटन पर इस नियम की पालना में अनाधिवासित सरकारी भूमि से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा रही है। इस परिपत्र के माध्यम से नियम 7 के तहत आत्यंतिक आवश्यकता के लिए वर्णित प्रयोजनार्थ infrastructure projects viz air strip, lift irrigation pumping station, government buildings, government offices, shamshan, kabristan, gaushala and rehabilitation purpose", the expression "Infrastructure Projects viz Air Strips, Irrigation Schemes, Water Supply Schemes, Government Buildings, Government Offices, Shamshans, Kabristans, Gaushalas, Rehabilitation Purposes, Industrial Development Authorities/ Companies set up by the State Government, Krishi Upaj Mandis, Rajasthan State Warehousing Corporation, National Highways, State Highways, Major District Roads and for laying Railway Lines हेतु चारागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने की स्थिति में चारागाह की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की भूमि से की जाए, के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जा रहे है:–

1. चारागाह की क्षतिपूर्ति, जहां तक संभव हो, उसी ग्राम में व उसी ग्राम में नहीं होने पर उसी पंचायत के अन्य निकटस्थ ग्राम में की जाए।
2. उसी ग्राम मे अथवा उसी ग्राम पंचायत के अन्य निकटस्थ ग्राम में भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आस–पास की पंचायत के पास के गांव में अनाधिवासित राजकोय कृषि भूमि (सिवायचक) चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अलग रखी जा सकती है।
3. यदि इस उददेश्य हेतु आस–पास की पंचायत में भूमि उपलब्ध नही है तो राज्य सरकार की अनुमति से जिले की अन्य पंचायत से अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु अलग रखी जा सकती है।
4. क्षतिपूर्ति ऐसी अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) से की जाए जो विद्यमान चारागाह से लगती हुई हो व विद्यमान चारागाह में आसानी से सम्मिलित होकर चारागाह के रूप में विकसित हो सके।
5. कई बार बहुत कम क्षेत्रफल की अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि (सिवायचक) क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक होती है। ऐसे में उचित होगा कि इस प्रकार के प्रकरणों हेतु एक बड़े भू–भाग जो

10 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम नहीं हो, को चिन्हित किया जाए जिसमें से समय–समय पर चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सके।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.9.2019 के अतिक्रमण में यह परिपत्र जारी किया जाता है।

06.1.21

(कमलेश आनूसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

06.1.21

शासन उप सचिव